न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 16/2024

सुभाष पुत्र हेतराम, जाति अहीर, निवासी रायपुर अहीरान, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत नायब तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुन दिनांक 27.04.2022 बअदालत नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुभाष अ0 धारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 मुकदमा नम्बर 35/2022 आदेश दिनांक 27.04.2022।

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट............................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 26.5.25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलांट्स को जमीन हाल खसरा नम्बर 177 रकबा 1.85 हैक्टर सरहद मौजा रायपुर अहीरान में से 0.05 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 50 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 27.04.2022 को पारित किया। प्रकरण में अपीलांट्स अतिक्रमी नही है तथा अपीलान्ट्स पर धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलांट्स के जवाब नोटिस को बिना डिसकस किये निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलांट्स का कब्जा बतौर अतिक्रमी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

नही है। अपीलान्ट्स के हक में भूमि का पट्टा है। वास्तविक रूप से विवादित आराजी खसरा नम्बर 177 मौके पर गैर मुमकिन जोहड़ नही है ना कभी रही है। विवादित आराजी ग्राम वासियान के आवास व मिश्रित कार्यो के काम आ रही है। जिस पर ग्राम वासियान पूर्वजों के समय से काबिज है। अपीलांट्स ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था। ऐसी सूरत में अदालत मातहत को अपीलान्ट्स के विरूद्ध संक्षिप्त कार्यवाही करने का अधिकार नही था। अदालत मातहत ने अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब में दर्ज किये गये तथ्यों की जांच किये बिना ही निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। प्रकरण में तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नही है। अतिक्रमण कितने वर्ष पुराना है यह भी दर्ज नही है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एकपक्षिय रिपोर्ट को सही मानने की गलती की है। तथाकथित पटवारी रिपोर्ट साबित नही की गई है। पटवारी हल्का बतौर साक्षी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित भी नही हुआ है। अपीलांट्स के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की गई है। साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट्स को अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित किया गया है। विवादित आराजी पर अपीलांट्स मय परिवार पूर्वजों के समय से आबाद है। मकानात में विधुत संबंध स्थापित है। अन्य कोई रिहायशी मकान है। विवादित आराजी में सार्वजनिक शौचालय, पक्की सड़के, मन्दिर, खेल मैदान बने हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 से इस बात की ताईद होती है कि विवादित भूमि पर छोटे बच्चों की श्मसान व संघन आबादी बसी हुई है जो पुरानी है जिसमें सरकारी बजट से सड़क बनी हुई है तथा कुछ व्यक्तियों को भूमिहीन होने व अन्य जगह बसाने हेतु अन्य भूमि उपलब्ध नही होना भी दर्ज किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत ने महज हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स को सुनवाई व साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना दिनांक 27.04.2022 का आलौच्य निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 27.04.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमीन खसरा नम्बर 177 की किस्म कभी भी गैर मुमकिन जोहड़ नही रही है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 27.04.2022 को विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर पुराने समय से सघन आबादी बसी हुई है। जो हलका पटवारी द्वारा दिनांक 02.02.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट से भी साबित होता है। विवादित

आराजी में बहुत से मकानात बने हुए है। उक्त भूमि घनी आबादी भूमि है अपीलांट ने बिजली पानी का कनेक्शन भी ले रखा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2022 मुकदमा संख्या 35/2022 उनवानी सरकार बनाम सुभाष अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार बुहाना को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.5.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं।